

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072020-220444 CG-DL-E-09072020-220444

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2019] No. 2019] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2020/आषाढ़ 18, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, 9 JULY, 2020/ASHADHA 18, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

का.आ. 2290(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और लाभदायक है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोग-(1) इस आदेश को बाइसिकल- रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश 01.01.2021 से प्रभावी होगा।
- (3) यह आदेश तालिका 1 और तालिका 2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामानों पर लागू होगा, किन्तु निर्यात की जाने वाली उक्त वस्तुओं या सामान पर इनमें से कुछ भी लागू नहीं होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग-तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें बीआईएस (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।
- 3. अनुपालन प्रमाण-पत्र -तालिका 2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान बीआईएस (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-IV के अनुसार ब्यूरो के अनुपालन प्रमाण-पत्र के तहत उक्त तालिका के कॉलम (2) में दी गई तद्नुरूपी अनिवार्य आवश्यकता(ओं) के अनुरूप होंगे।

3063 GI/2020 (1)

- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण तालिका-1 और तालिका-2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में यह ब्यरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- 5. उल्लंघन करने पर जुर्माना इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

तालिका 1

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
रेट्रो रिफ्लेक्टिव	आईएस/आईएसओ	साइकिल-लाइटिंग और रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसिस- भाग
डिवाइसिस	6742-2:2015	2-रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसिस

तालिका 2

वस्तु या सामान	अनिवार्य आवश्यकता	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
बाइसिकल के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसिस की आवश्यकता	आईएस 10613:2014 का खंड 4.14	बाइसिकल के लिए साइकिल-सुरक्षा आवश्यकताएं

नोट – तालिका-1 के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29014/3/2018-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

- **S.O. 2290(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This Order may be called the Bicycles- Retro Reflective Devices (Quality Control) Order, 2020.
- (2) This order shall come into force with effect from 01.01. 2021.
- (3) This order shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table 1 and Table 2, but nothing herein shall apply to said goods or articles meant for export.
- **2.** Conformity to Standard and Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in the column (1) of the Table 1 shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in the column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certificate of Conformity. Goods or articles specified in the column (1) of the Table-2 shall conform to the corresponding essential requirement(s) given in the column (2) of the said table under a certificate of conformity from the Bureau as per Scheme-IV of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

- **4. Certification and Enforcement Authority.-** In respect of the goods or articles specified in the column (1) of the Table-1 and Table-2, the Bureau shall be the certifying and enforcing authority.
- **5. Penalty for Contravention.** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

Table 1

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Retro-reflective Devices	IS/ISO 6742-2:2015	Cycles-Lighting and Retro-Reflective Devices- Part 2 Retro-Reflective Devices

Table 2

Goods or article	Essential Requirement	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Requirement of Retro- Reflective Devices for Bicycles	Clause 4.14 of IS 10613: 2014	Cycles-Safety Requirements for Bicycles

Note: For the purposes of Table-1, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from date as notified by the Bureau.

[F. No. P-29014/3/2018-LEI] ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.